दीवानी वाद संख्या 50/2024
हनुमान खां बनाम मुराद एवं अन्य
दिनांक 26-02-2026

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से सुयोग्य अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के अनुरूप यह कथन किया है कि हस्तगत मामला बैनामा दिनलांक 11-12-2007 को निष्प्रभावी व शून्य घोषित करवाने के लिए रहा है, जो विहित परिसीमा अवधि तीन साल से बाहर है। उनका यह भी कथन रहा है कि दिनांक 11-12-07 को स्व. जमाल द्वारा रजिस्टर्ड विवादित सेलडीड स्वयं के क्षेत्राधिकार को काम मे लेते किया गया था तो यदि स्व. मेहता को कोई मुख्तयार के अधिकार थे तो भी सेलडीड रजिस्टर्ड होने से उस सम्पत्ति के लिए मुख्तयारनामा निरस्त होने के सिद्धान्त के कारण जमाल द्वारा दिनांक 11-12-07 को बेची गयी सम्पत्ति को दिनांक 13-11-11 को पुनः करार से बेचने का अधिकार नहीं था। अंत मे आवेदन स्वीकार करते हुए वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन मे निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये--

1- 2016(1) आर.जे.टी. 212
भैरूलाल व अन्य बनाम श्रीराम व अन्य
2-ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट 16543
देबरतन विश्वास व अन्य बनाम एम. आनंद मोयी देवी व अन्य

जबाब बहस मे सुयोग्य अधिवक्ता वादी का यह कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष मे निष्पादित बेचाननामा दिनांक 11-12-2007 की जानकारी वादी हनुमान को प्रतिवादी संख्या एक से ही नवम्बर-दिसम्बर 2012 मे मिली जिस पर उसने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर एक विधिक नोटिस प्रेषित किया था एवं तत्पश्चात हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। अंत मे आवेदन आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवेदन के निस्तारण के लिए वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को ही देखा जाना सुसंगत होता है। वाद पत्र के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि वाद पत्र की मद संख्या 13 मे यह अंकित रहा है कि "वादी को विवादित बैनामा दिनांक 11-12-2007 की जानकारी सर्प्रथम दिनांक 10-12-2012 को हुयी।" इसलिए वाद पत्र के पढन मात्र से ही वाद मियाद अवधि से बाहर होना प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मियाद संबंधी प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जिसके संबंध में विवाद्यक संख्या 5 पूर्व से ही विरचित रहा है। लिहाजा ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली पर एक अन्य आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. भी रहा है जिस पर भी उभय पक्ष को सुना जा चुका हैं जिसका निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

26.02.26

विकास सिंह चौधरी
आर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या - 2, अजमेर

दौराने बहस सुयोग्य अधिवक्ता वादी का यह कथन रहा है कि वाद पत्र प्रस्तुत करते समय जमाल द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष मे निष्पादित मुख्तयारनामा व वसीयतनामा दिनांक 4-7-2001, वादी के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा निष्पादित इकरारनामा बाबत बेचान दिनांक 13-11-2011, प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष मे जमाल द्वारा निष्पादित बैचाननामा दिनांक 11-12-07, हनुमान खा द्वारा मूल खातेदार जमाल को जरिये अधिवक्ता प्रेषित नोटिस व प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा प्रेषित जबाब दिनांक 24-12-12, विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 854 का नक्शा ट्रेस व आधे भाग बाबत जमाल द्वारा निष्पादित बेचानानामा 2-4-07 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी थी किन्तु अब उक्त दस्तावेजात के मूल व सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की जा रही है, इसके अतिरिक्त विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 830 के बाबत निष्पादित बेचाननामा 14-10-2002 व प्रतिवादी सं9 के खिलाफ हनुमान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने व प्रतिवादी संख्या एक व दो को आरोपी नहीं मानने पर प्रस्तुत विरोध याचिका व उसके फौजदारी प्रकरण मे हुए बयान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जा रही है, जो पूर्व मे कही रखने से आ गये थे इस कारण पूर्व मे प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। उक्त दस्तावेज आवश्यक प्रकृति के है जिनको रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

जबाब बहस मे सुयोग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि वादी पक्ष को दस्तावेज वाद के साथ ही प्रस्तुत करने चाहिए थे, पूर्व मे पेश नहीं करने का कोई समुचित कारण भी दर्शित नही किया है, जो इकरारनामा पेश करना चाहा गयाहै वह 100 रूपये के स्टाम्प पर रहा है जो विधिनुसार स्टाम्पित नही होने से प्रदर्शित होने योग्य नहीं है। अंत मे आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा जो दस्तावेजात पेश करना चाहे गये है वे वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए सुसंगत होना प्रकट होता है। दस्तावेजात की फोटोप्रतियां पूर्व मे पेश की गयी थी। उक्त दस्तावेजात को अभिलेख पर लिये जाने से विरोधी पक्षकार को उक्त दस्तावेजात पर जिरह का अवसर प्राप्त होगा। प्रकरण मे अभी साक्ष्य वादी लेखबद्ध होना शेष है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर आवेदन की पद संख्या दो मे वर्णित दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

आदेश सुनाया गया। प्रकरण लक्षित प्रकरणों मे रहा है। अतः आगामी पेशी पर वादी पक्ष अपने समस्त साक्षियो को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 6/3/26. को पेश हो।

26.02.26

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या – 2, अजमेर